

समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला पंचायत राज कार्यालय)

आदेश

CFMS के माध्यम से दिनांक:-01.04.2020 को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष - 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघुशीर्ष - 001- निदेशन एवं प्रशासन -उपशीर्ष - 0003 - जिला पंचायत की स्थापना" के अन्तर्गत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु वेतनादि मद में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए कुल ₹ 96,20,000/- (छियानवे लाख बीस हजार) मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसे अधोलिखित पदाधिकारियों को उपावटित किया जाता हैं।

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	वेतन (0003.01.01)	जो० या० भत्ता (003.01.03)	मकान भत्ता (0003.01.04)	चिकित्सा भत्ता (003.01.06)	परि० भत्ता (003.01.05)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्र० वि० पदा०, सदर, मुंगेर	900000	198000	90000	10000	80000	1278000-00
2	प्र० वि० पदा०, जमालपुर	800000	176000	80000	10000	40000	1106000-00
3	प्र० वि० पदा०, धरहरा	800000	176000	40000	10000	0	1026000-00
4	प्र० वि० पदा०, बरियारपुर	200000	44000	10000	6000	0	260000-00
5	प्र० वि० पदा०, हवेली खड़गपुर	1000000	220000	50000	14000	0	1284000-00
6	प्र० वि० पदा०, टेटिया बम्बर	200000	44000	10000	6000	0	260000-00
7	प्र० वि० पदा०, तारापुर	400000	88000	20000	10000	0	518000-00
8	प्र० वि० पदा०, असरगंज	200000	44000	10000	6000	0	260000-00
9	प्र० वि० पदा०, संग्रामपुर	200000	44000	10000	6000	0	260000-00
10	जिला पंचायत राज सुरक्षित	2300000	766000	280000	22000	0	3368000-00
	कुल योग -	7000000	1800000	600000	100000	120000	96,20,000-00

₹ 96,20,000/- (छियानवे लाख बीस हजार) मात्र ।

- उपावटित राशि की निकासी पूरी छानवीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही की जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- उपावटित राशि की निकासी करते समय कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक ईकाई आदि का स्पष्ट मुहर ईकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संघारण समुचित ढंग से हो सके।
- उपावटित राशि की निकासी वित्तीय नियमावली, वजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- उपावटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि (2) दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं 256 दिनांक 26.02.2019 तथा 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक:-31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- उपावटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के वकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाय। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाय यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार वकाया वेतन की निकासी कराना सुनिश्चित करें।
- उपावटित राशि की निकासी के पश्चात व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 5वीं तिथि तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- उपावटित राशि की निकासी का मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड संख्या- 16-2515000010003 है।
- उपावटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय, तथा भुगतान के औचित्य ये पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाई की जाय, तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

301-
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मुंगेर।

जापांक. 158 /पं०, दिनांक. 01.04.2020

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

31/4/20
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मुंगेर।